**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा उत्पादन विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 860**

**28 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए**

 **रक्षा क्षेत्र में निवेश हेतु अनुमोदन**

**860. श्री टी. रतिनावेल :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 613 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 16 अनुज्ञप्तियों को अनुमोदन प्रदान किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कदम से 'मेक इन इण्डिया' पहल के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा एवं निजी क्षेत्र को आकर्षित करने में भी सहायता मिलेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)**

(क): 10.06.2015 को हुई तीसरी लाइसेंसिंग समिति की बैठक (2015 श्रृंखला) में सरकार ने रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए 613 करोड़ रुपए की राशि के निवेश के 16 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है । विवरण अनुबंध-I पर संलग्न है ।

(ख): सरकार ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक पहल की हैं । सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कुछ पहलों का ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है ।

रक्षा क्षेत्र में निवेश हेतु अनुमोदन के बारे में राज्य सभा में दिनांक 28/07/2015 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 860 के भाग 'क' के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

दिनांक 10.06.2015 को आयोजित तीसरी लाइसेंसिंग समिति की बैठक(2015 श्रृंखला) में अनुमोदित मामले

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रम सं. | पंजीकरण सं और दिनांक | आवेदक कम्पनी का नाम | राज्य | श्रेणी | निवेश |
| 1 | 71/एसआईए/आईएल/2011दिनांक23/09/2011 | मैसर्स पीपावाव डिफेंस एण्ड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड | गुजरात | रक्षा | 3,77,00,00,000/- रुपए |
| 2 | 02/एसआईए/आईएल/2012दिनांक /2012 | मैसर्स टाटा एडवांस्ड मेटेरियल लिमिटेड | कर्नाटक | रक्षा | 1,00,00,00,000/- रुपए |
| 3 | 18/एसआईए/आईएल/2013दिनांक26/04/2013 | मैसर्स नरेन्द्र एक्सप्लोसिव लिमिटेड | उत्तर प्रदेश | रक्षा | 1,00,00,000/- रुपए |
| 4 | 56/एसआईए/आईएल/2013दिनांक03/10/2013 | मैसर्स सेमटेल थेल्स एवीओनिक्स लिमिटेड | उत्तर प्रदेश | रक्षा | 12,97,35,000/- रुपए |
| 5 | 74/एसआईए/आईएल/2013दिनांक24/12/2013 | मैसर्स सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड | महाराष्ट्र | रक्षा/विस्फोटक | 30,00,00,000/- रुपए |
| 6 | 07/एसआईए/आईएल/2014दिनांक20/01/2014 | मैसर्स एमेरटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड | हरियाणा | रक्षा | 6,01,33,333/- रुपए |
| 7 | 30/एसआईए/आईएल/2011दिनांक07/02/2014 | मैसर्स सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड | महाराष्ट्र | रक्षा | 8,00,00,000/- रुपए |
| 8 | 289/एसआईए/आईएल/2014दिनांक07/05/2014 | मैसर्स मोडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | गुजरात | रक्षा | 19,67,64,000/- रुपए |
| 9 | 306/एसआईए/आईएल/2014दिनांक16/09/2014 | मैसर्स आईडिन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड | कर्नाटक | रक्षा | 1,50,00,000/- रुपए |
| 10 | 15/एसआईए/आईएल/2015दिनांक16/02/2015 | मैसर्स टक टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड | उत्तर प्रदेश | रक्षा | 21,00,000/- रुपए |
| 11 | 06/एसआईए/आईएल/2013दिनांक04/02/2013 | मैसर्स बी एफ एलबिट एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड | महाराष्ट्र | रक्षा | 40,00,00,000/- रुपए |
| 12 | 288/एसआईए/आईएल/2014दिनांक02/05/2014 | मैसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड | पश्चिम बंगाल | रक्षा | /- रुपए |
| 13 | 25/एसआईए/आईएल/2014दिनांक05/02/2014 | मैसर्स एनालोजिक कंट्रोल्स इंडिया लिमिटेड | आंध्र प्रदेश | रक्षा | 4,73,13,921/- रुपए |
| 14 | 303/एसआईए/आईएल/2014दिनांक05/09/2014 | मैसर्स प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड | आंध्र प्रदेश | रक्षा | 5,00,00,000/- रुपए |
| 15 | 305/एसआईए/आईएल/2014दिनांक05/09/2014 | मैसर्स सीरियल इनोवेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | कर्नाटक | रक्षा | 5,00,00,000/- रुपए |
| 16 | 308/एसआईए/आईएल/2014दिनांक11/11/2014 | मैसर्स एसटेरिया एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड | गुजरात | रक्षा | 2,00,00,000/- रुपए |
| कुल | 6,13,10,46,254/- रुपए |

**रक्षा क्षेत्र में निवेश हेतु अनुमोदन के बारे में राज्य सभा में दिनांक 28.07.2015 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 860 के भाग 'ख' के उत्तर उल्लिखित अनुबंध-II**

 **सरकार द्वारा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम**

1. आईडीआर अधिनियम के तहत औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से रक्षा उत्पाद सूची को संशोधित किया गया है और अधिकांश घटकों, हिस्सों, उप-प्रणालियों, परीक्षण उपस्करों, उत्पादन उपकरणों को सूची से हटा दिया गया है ताकि उद्योग के लिए, विशेषकर, लघु और मध्यम प्रकृति के उद्योग में प्रवेश करने में आ रही बाधाओं को कम किया जा सके ।
2. औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) और औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आईईएम) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है और यह सेवा अब बिना किसी मानवीय इंटरफेस के एबिज (Ebiz) वेबसाइट पर उद्यमियों के लिए सातों दिन चौबीसों घंटे (24X7) आधार पर उपलब्ध है ।
3. औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को विस्तार की मंजूरी के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग को सुधारने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।
4. आईडीआर अधिनियम के तहत मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष तक किया गया है और यह भी प्रावधान किया गया है कि उसे मामला-दर-मामला आधार पर आगे 3 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकेगा ।
5. आंशिक रूप से उत्पादन प्रारंभ करने को लाइसेंस में शामिल सभी मदों का उत्पादन प्रारंभ करना माना जाएगा ।
6. लाइसेंसीकृत रक्षा उद्योग के लिए सुरक्षा मैनुअल जारी किया गया है । सुरक्षा मैनुअल जारी करने के साथ आवेदकों से शपथ-पत्र की प्राप्ति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है ।
7. रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस की वार्षिक क्षमता पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है ।
8. लाइसेंसधारी को रक्षा उत्पादन विभाग की अनुमति के बिना गृह मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य रक्षा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के नियंत्रण में सरकारी संस्थानों को रक्षा मदें बेचने के लिए अनुमति दी गई है ।
9. औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यम ज्ञापन के लिए आवेदन प्रपत्र को सरल बनाया गया है ।
10. एनआईसी कोड (एनआईसी 2008) के एडवांस्ड वर्जन को अपनाया गया है जो एक उच्च समकालीन औद्योगिक वर्गीकरण है ।

11. भारतीय निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क में विसंगतियों को दूर किया गया है । संशोधित नीति के अनुसार, सभी भारतीय उद्योगों(निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र) से एक ही तरह के सीमा एवं उत्पाद शुल्क वसूले जाएंगे ।

12. निजी क्षेत्र विशेष रूप से लघु मध्यम उद्यमों (एसएमई) की रक्षा विनिर्माण में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के लिए आउटसोर्सिंग तथा विक्रेता विकास संबंधी दिशा-निर्देश बनाए गए हैं और उन्हें परिचालित किया गया है । दिशा-निर्देश में यह अधिदेशित है कि रक्षा क्षेत्र के प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड को लघु मध्यम उद्यमों सहित निजी क्षेत्र से आउटसोर्सिंग में क्रमिक वृद्धि के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक आउटसोर्सिंग और विक्रेता विकास योजना बनानी है । इन दिशा-निर्देशों में आयात प्रतिस्थापन के लिए विक्रेता विकास भी सम्मिलित है ।

13. सैन्य भण्डारों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को संशोधित किया गया है और वेबसाइट पर डाल दिया गया है । संशोधित एसओपी के तहत कलपुर्जों, घटकों, उप-प्रणालियों आदि के लिए अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी) पर सरकारी प्राधिकारियों से प्रति हस्ताक्षरित/मुहर लगे होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है ।

14. सैन्य भण्डारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रक्रिया को पारदर्शी तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है । सैन्य सामानों के निर्यात के लिए एनसीओ हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा एनओसी जारी किए जाने को ऑन-लाइन किया गया है ताकि विलम्ब में कमी हो और प्रक्रिया में मानवीय इंटरफेस दूर हो सके ।

15 रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति की समीक्षा की गई और संशोधित नीति के अनुसार सरकारी माध्यम (एफआईपीबी)से 49% तक और जहां कहीं इसके परिणामस्वरूप देश में आधुनिक तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की पहुंच बनने की संभावना हो, मामला-दर-मामला आधार पर सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से 49% से अधिक समेकित विदेश निवेश की अनुमति दी जाती है । इसके अलावा, इस क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पूर्ववर्ती नीति में विद्यमान प्रतिबंधों, जैसेकि एकल सबसे बड़े भारतीय शेयरधारक को कम से कम 51%इक्विटी धारण करना और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पर पूर्ण प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है ।

16 भारतीय रक्षा उद्योग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए रक्षा निर्यात के संवर्धन की आवश्यकता पहचानते हुए रक्षा निर्यात रणनीति तैयार की गई है जिसमें किए जाने वाले विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है और इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है ।

17 अर्जन की 'खरीदो (वैश्विक)' श्रेणी की तुलना में 'खरीदो (भारतीय)', 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' तथा 'बनाओ' श्रेणियों को प्राथमिकता दिया जाना, जिससे अधिप्राप्ति में भारतीय उद्योग को प्राथमिकता जा सके ।

\*\*\*\*\*